न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मोनिका बलारा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 17 / 2015

आरसीएमएस नम्बरः— 2015 / 00102

1. रेवन्तराम पुत्र भोमाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
2. गोपालराम पुत्र भोमाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
3. खेमाराम पुत्र भोमाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
4. तोलाराम पुत्र गंगाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
5. नारायणराम पुत्र गंगाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
6. प्रभूराम पुत्र गंगाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।

—वादीगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. लूणाराम पुत्र भैराराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
2. मुनाराम पुत्र भैराराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
3. मानाराम पुत्र उदाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
4. सोहनराम पुत्र उदाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
5. मामराज पुत्र उदाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
6. अर्जनराम पुत्र उदाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
7. इमरती पत्नी मोतीराम पुत्र उदाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
8. रामेश्वर पुत्र मोतीराम पुत्र उदाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
9. करणाराम पुत्र मोतीराम पुत्र उदाराम निवासी भोजेरा तहसील बीकानेर।
10. राम प्यारी पत्नी श्री कोजूराम पुत्री श्री मोतीराम निवासी बच्छासर तहसील बीकानेर।
11. नानू पत्नी श्री मुकनाराम पुत्री श्री मोतीराम निवासी बच्छासर तहसील बीकानेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्त. अधि. एवं 136 राज. भू—राजस्व अधि.

उपस्थितः—

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक वादीगण ।
2. श्री पैरोकारराज, स्टेट की ओर से ।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट कलक्टर एवं बीकानेर

—:निर्णयः— दिनांकः— 16.07.2018

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रेवन्तराम वगै0 ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्त. अधि. एवं 136 एल.आर.ए. विरूद्ध लूणाराम वगै0 इस आशय का पेश किया कि वाके रोही भोजेरा तहसील बीकानेर की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 49 तादादी 9.35 हैक्टर, खसरा नं. 50 तादादी 4.20 हैक्टर, खसरा नं. 56 तादादी 8.52 हैक्टर, खसरा नं. 59 तादादी 7.39 हैक्टर, खसरा नं. 168 तादादी 5.62 हैक्टर, खसरा नं. 169 तादादी 3.15 हैक्टर, खसरा नं. 241 / 109 तादादी 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 272 / 52 तादादी 0.20 हैक्टर कुल किता 8 तादादी 38.48 हैक्टर पुश्तैनी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं कब्जा एवं काश्त में चली आ रही है। जिसका लगान वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के पूर्वजों के समय से अदा किया जाता रहा होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 राजस्थान राज्य के एडमिटेड टिनेन्ट है। उक्त भूमि का सम्वत 2030 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के पूर्वजों के नाम बहिस्सा बराबर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

1/4–1/4 मे दर्ज हुआ, जिसके मुताबिक जमाबन्दी सं. 2038 से 2041 तैयार की गई। तत्पश्चात उक्त ग्राम का भूपबन्ध प्रक्रिया मे चले जाने के कारण जमाबन्दी तैयार नही हुई एवं मिसल बन्दोबस्त सं. 2050 से 69 के अनुसार जमाबन्दी सं. 2053 से 56 तैयार की गई एव जमाबदी संवत 2057–60 मे हल्का पटवारी द्वारा वरवक्त दर्ज किये जाने हिस्सा गलत हिस्सा की गणना करते हुए गलत हिस्से बिना सुनवाई मनमाने तरीके से दर्ज करते हुए जमाबन्दी तैयार की गई। जबकि वादीगण एव प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा एव काश्त अपने अपने कानूनन स्थिति हक एवं हिस्सा अनुसार ही चला आ रहा है।

2. विवादित कृषि भूमि तादादी 34.48 हैक्टर मे भैराराम, भोमाराम, उदाराम, गंगाराम पि. बिरमराम का 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर होने के कारण वादीगण स. 1 ता 3 भोमाराम के वारिस होने से भोमाराम का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण स. 4 ता 6 गंगाराम के वारिस होने से गंगाराम का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 भैराराम के वारिस होने से भैराराम के कानूनन स्थित 1/4 हिस्से के हकदार है एव प्रतिवादी सं. 3 ता 6 उदाराम के वारिस एवं 7ता 11 उदाराम के पुत्र मोतीराम के वारिस होने से उदाराम के कानूनन स्थित 1/4 के हकदार है, इसी अनुरूप कानूनन स्थित हक एवं हिस्से की घोषणा करावाने के वादीगण अधिकारी है।

3. इस वाद के प्रतिवादीगण को समन बनाम मुदायलाह बिनावत कायमी तनकीयात दिलाया गया । प्रतिवादीगण की तामिल नही हो पाने के कारण उनकी तलबी जरिये अखबार साया करवाई गई । किन्तु अखबार मे प्रकाशन के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 ता 11 स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया । अतः उचित माध्यम से तलबी करवाने के पश्चात् प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में वादीगण संख्या 3 व 6 व दो गावों के व्यक्तियों द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये, जिसमें बिरमाराम के पुत्र भैराराम, भोमाराम, उदाराम व गंगाराम का विवादित भूमि में 1/4–1/4 हिस्सा बताया गया व विरास्तन नामांतरण दर्ज करते समय बिरमाराम के वारिसानों का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है ।

5. प्रकरण में वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई ।

6. वकील वादी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित कृषि भूमि वाके रोही भेजेरां के खेत खसरा नं. 49 तादादी 9.35 हैक्टर, खसरा नं. 50 तादादी 4.20 हैक्टर, खसरा नं. 56 तादादी 8.52 हैक्टर, खसरा नं. 59 तादादी 7.39 हैक्टर, खसरा नं. 168 तादादी 5.62 हैक्टर, खसरा नं. 169 तादादी 3.15 हैक्टर, खसरा नं. 241/109 तादादी 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 272/52 तादादी 0.20 हैक्टर कुल किता 8 तादादी 38.48 हैक्टर में बिरमाराम के वारिसान भैराराम, भोमाराम, उदाराम व गंगाराम के विरास्तन इंतकाल में दर्ज गलत हिस्से को 1/4–1/4 हिस्से के रूप में दुरूस्त किया जाकर भैराराम, भोमाराम, उदाराम व गंगाराम के वारिसानों के नाम से 1/4–1/4 हिस्से के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार, बीकानेर को निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ भेजी जावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(मनिका बलोरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर